संख्या–1053/69-1-98-1 एन.आर.(एल.)/96

प्रेषक,

श्री सुबोध नाथ झा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नागर विकास अभिकरण,
उ.प्र. लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक : 11 जून, 1998

नगरीय रोज़गार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
अनुभाग,

विषय : स्वच्छकार विमुक्ति योजनान्तर्गत लाभार्थियों को प्रदान की गयी ऋण राशि की वसूली के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 940/69/नौ/97, दिनांक 03 अप्रैल, 1998 का कृपया सन्दर्भ लें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 23 मार्च, 1998 को सूडा मुख्यालय पर सम्पन्न शासी निकाय की बैठक के पारित प्रस्ताव संख्या : 12 तथा निदेशक, सूडा के उपर्युक्त पत्र दिनांक 03 अप्रैल, 1998 की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि स्वच्छकार विमुक्ति योजना में लाभार्थियों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु प्रदान की गयी ऋण राशि की वसूली निर्माण करने वाली संस्था को सौंप दिया जाये। इस निमित्त निर्माण करने वाली संस्था को ऋण वसूली की राशि का 09 (नौ) प्रतिशत धनराशि दी जायेगी। चूंकि सूडा को आय का कोई स्रोत नहीं है अतः यह निर्णय लिया गया है कि उक्त 09(नौ) प्रतिशत की धनराशि के बराबर की राशि योजनान्तर्गत हडको को भेजे जाने वाले प्रोजेक्ट के यूनिट एस्टीमेट कास्ट में शामिल कर लिया जायेगा।

3. सूडा द्वारा उक्त 09(नौ) प्रतिशत की राशि संबंधित निर्माण एजेन्सीको जब तक भुगतान नहीं किया जायेगा जब तक एजेन्सी द्वारा समस्त ऋण राशि वसूल कर सूडा को उपलब्ध नहीं करा दी जाती है।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस.एन. झा)
प्रमुख सचिव